

जज अदालत.....

मुकाम.....

किस्म मुकदमा.....

श्री. मुराराम
111/128 RLR Act

बनाम.....

श्री. मुराराम कोटा

नं.....

26

सन.....

2020

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.2.2020	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांत के वकील श्री <u>खेमचंद 111/128</u> ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>111/128 RLR Act</u> राजस्थान कास्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>24/2/20</u> को पेश हो।</p>	
24/02/2020	<p>सहायक कलक्टर (SPO) बायतु</p> <p>प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामिल शुद्धा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली विभा गजा। विप्रार्थीगण का कसूर तामिल अनुपस्थित। न्यायालय तमम लेन वाट शवाज लागू गई। शान्तिम शवाज 5.45 PM पर लागू गई। विप्रार्थीगण त्वयं मा इनडी कोर्ट से बोर्ड अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा उनसे बिलड एडतरमा शर्तवादी तमल के लाई जाती है। अतः वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 03/03/2020 को पेश की।</p>	
3/3/2020	<p>सहायक कलक्टर (SPO) बायतु</p> <p>प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण अनुपस्थित। प्रार्थी के अधिवक्ता से बरक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थी व विप्रार्थीगण के खेत सेदा सेदा आए</p>	



हुए हैं। प्रार्थी व विप्रार्थीगण के सेढे पर जो पुरानी मादे व कणे आरु हुए थे वह वर्तमान में आधियां की वजह से विरवर गुर है। जिससे प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के सेढे का सही ज्ञान नही हो रहा है। वर्षात होने पर विप्रार्थी गण प्रार्थी की सूभि में खेती कर लेते हैं। जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के बीच तनाजा बना रहता है। इस कारण प्रार्थी को अपनी खातेदारी सूभि की पक्की नेखमवँदी कापाना आवश्यक है। इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नेखमवँदी आवेदन स्वीकार कर नेखमवँदी आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थी का नेखमवँदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमी-शनर एवं संलग्नित सू.क्ष. निरीक्षक के सहायक कमीशनर निकुलत किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या ~~अ~~ सहायक कमीशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमवँदी माँके पर नियमानुसार कमीशनर शुल्क 500/- जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट पेश होने पर शामिल पत्रावली से पत्रावली फँसल शुमार हो, फर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

3.3.2020

सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

क्र/बाय/2020
प्रार्थी
1. मालास
नि

क्रमांक/वाद/2020/206

दिनांक: 3/3/2020

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. मालाराम पुत्र मूलाराम जाति जाट वगैरा निवासी बाटाडू तहसील बायतु जिला बाड़मेर		1. भुराराम पुत्र कानाराम वगैरा जाति जाट निवासी बाटाडू तहसील बायतु जिला बाड़मेर


प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 26/2020

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा बाटाडू पटवार हल्का बाटाडू तहसील बायतु जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 1340 रकबा 85.13 बीघा की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें। एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है खातेदार को अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखबंदी करा सकता है। लियाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 भू,रा0,अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है व तहसीलदार बायतु को कमिश्नर व सम्बंधित भू अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है। कि कमिश्नर स्वयं या सहायक कमिश्नर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबन्दी मौके पर निर्धारित कमिश्नर शुल्क रूपये 500/- जमा करा कर करें। एवं पालना रिपोर्ट पेश करें। तथा अपेक्षित होने पर थाना प्रभारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांक:- 3/3/2020

क्रमांक/वाद/2020/207-11

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी बाटाडू को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री मालाराम वगैरा
4. विप्रार्थीगण भुराराम वगैरा
5. थाना अधिकारी पुलिस थाना गिड़ा


उपखण्ड अधिकारी बायतु